न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 91/19/दावा

1. कुलदीप सिंह पुत्र स्व. हेम सिह जाति राजपुत निवासी ग्राम चन्द्रसिंहपुरा (जाना) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—वादी

बनाम

1. आनन्द सिह पुत्र समुन्द्र सिह जाति राजपुत निवासी ग्राम जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. एस.बी.आई. बैंक शाखा लोसल जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से।
2. श्री आशीष शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 03.02.2020**

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित भूमि ख0न0 302 रकबा 0.39 है0 कुल किता 01 रकबा 0.39 है0 व भूमि ख0न0 303 रकबा 0.48 है0 तन ग्राम जाना पटवार हल्का जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां वादी की खरीदशुदा व कब्जे काश्त की कृषि भूमियां है। भूमि खं0न0 303 रकबा 0.48 है0 में से खातेदार आन्नद सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी जाना से उसके हिस्से 1/4 सम्पूर्ण व भूमि खं0 न0 302 रकबा 0.39 है0 में से उसके हिस्से 3/32 सम्पूर्ण कुल रकबा 0.156 है0 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2007 को वादी की माताजी कंचन कंवर पत्नि हेमसिंह जाति राजपुत निवासी चन्द्रसिंहपुरा (जाना) ने खरीद की थी। वादी की माताजी की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके एक मात्र वारिस वादी ही है। विवादित भूमियों पर वर्तमान में कब्जा काश्त वादी का ही है। वादी की माता कंचन कवंर की मृत्यु दिनांक 19.01.2012 को हो चुकी है। इस वजह से प्रतिवादी संख्या 01 के मन में बेईमानी आ गई तथा वादी को बेदखल कर स्वंय कब्जा कर हड़पना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विवादित भूमियों को अन्य लोगों को बेचान करने व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ तब से ही वाद

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दॉंतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner

कारण क्षण प्रतिक्षण जारी है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज भूमियों में सें वादी की माता के नाम से रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उनकें हक हिस्से में सें वादी को कुल रकबा 0.156 है0 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें वकील श्री आशिष शर्मा हाजिर आये तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजीनामे का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामे अनुसार डिक्री हेतु निवेदन किया। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार नियम के आधार पर मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान विरासत में हक हिस्सा मिलना आवश्यक है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि ख0न0 302 रकबा 0.39 है0 कुल किता 01 रकबा 0.39 है0 व भूमि ख0न0 303 रकबा 0.48 है0 तन ग्राम जाना पटवार हल्का जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में सें आन्नद सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी जाना से उसके हिस्से 1/4 सम्पूर्ण व भूमि खं0 न0 302 रकबा 0.39 है0 में से उसके हिस्से 3/32 सम्पूर्ण कुल रकबा 0.156 है0 हिस्से का वादी की माता की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा है से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज खातेदारी में से उसका नाम हजफ किया जाता है तथा वादी को उक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

कुलदीप सिंह बनाम आनन्दसिंह आदि

दावा बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 03.02.2020

मुकदमा नं0 91/दावा सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री भवानीसिंह शेखावत** मिनजानिब मुददई व श्री आशीष शर्मा मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा ख0न0 302 रकबा 0.39 है0 कुल किता 01 रकवा 0.39 है0 व भूमि ख0न0 303 रकबा 0.48 है0 तन ग्राम जाना पटवार हल्का जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से आन्नद सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी जाना से उसके हिस्से 1/4 सम्पूर्ण व भूमि ख0 न0 302 रकबा 0.39 है0 में से उसके हिस्से 3/32 सम्पूर्ण कुल रकबा 0.156 है0 हिस्से का वादी की माता की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा है से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज खातेदारी में से उसका नाम हजफ किया जाकर वादी को उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.02.2020 को जारी की गई।

मोहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ(सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, दांतारामगढ